न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 27/2023 G.C.M.S. No. 2023/120 दर्ज दिनांक : 13.04.2023

अपीलार्थी:

1. दिलीपसिंह पुत्र स्व. महाराजा श्री उम्मेदसिंह, जाति राजपूत, उम्र 84 वर्ष, निवासी जोधपुर, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. हिम्मतसिंह
2. दुर्गेश नंदिनी धर्मपत्नि राजेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासीगण महाराज श्री हिम्मतसिंह का बंगला, न्यू जोधपुर विद्युत वितरण निगम के पास, रेजीडेंसी रोड़, जोधपुर, जिला जोधपुर।
3. तहसीलदार बाली, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/2021 बअनवान दिलीपसिंह बनाम राजेन्द्रसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.08.2022

पैरोकार–

1. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 19.09.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/2021 बअनवान दिलीपसिंह बनाम राजेन्द्रसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.08.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से एक वाद अंतर्गत धारा 88, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम दूदनी के खसरा नम्बर 65, 66, 70, 71, 72, 79 से 83, 73, 76 व 77 कुल खसरा 13 कुल रकबा 23.39 हैक्टेयर कृषि भूमि के संबंध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा, बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि सर्वथा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। चूंकि रेस्पोंडेन्ट की ओर से एक आवेदन 7 नियम 11 का इस आशय का प्रस्तुत किया था कि म्यूटेशन के संदर्भ में स्पेशल अपील राजस्व मण्डल में लंबित है तथा धारा 145 व 146 में रिसीवर द्वारा कब्जा मौके पर रेस्पोंडेन्ट से प्राप्त किया है, इसलिए अपीलान्ट के हक में किसी प्रकार का वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है। चूंकि खातेदारी के संदर्भ में राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

मण्डल, अजमेर में प्रकरण लंबित है, इसलिए घोषणा का वाद विधि द्वारा वर्जित है। साथ ही आदेश 7 नियम 11 में वर्णित छः परिस्थितियों में ही वाद को खारिज किया जा सकता है। रेस्पोंडेन्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन में केवल मात्र यह दर्ज करना चाहिए कि भूमि का कब्जा रिसीवर द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या एक व दो से प्राप्त किया था, इस कारण से अपीलान्ट वादी के हक में कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है। वादकारण के संबंध में सम्पूर्ण वाद का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, केवल वाद के किसी पेराग्राफ को पढ़कर वादकारण के संदर्भ में फाईन्डिंग नहीं दी जा सकती है। वादकारण के संदर्भ में वादपत्र में वर्णित अभिवचन एवं वादपत्र के पद संख्या बीस में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। जहां तक खातेदारी की घोषणा का प्रश्न है तो इस संबंध में विधि का स्पष्ट मत है कि विवादित भूमि के संबंध में किसी भी न्यायालय में म्युटेशन का प्रकरण लंबित हो अथवा म्यूटेशन से संबंधित किसी भी न्यायालय का निर्णय भी हो चुका हों तो भी खातेदारी घोषणा के वाद में ऐसा निर्णय अथवा किसी भी न्यायालय में चल रही कार्यवाही अवरोध पैदा नहीं करेगी, न ही बंधनकारी होगी, न ही धारा 10 व धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों को आकर्षित करेंगी। इस संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा अनेकानेक निर्णय पारित किये गये हैं, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि म्युटेशन की कार्यवाही अथवा उससे संबंधित अपील या निगरानी किसी भी न्यायालय में चाहे वो राजस्व मण्डल भी हो, में लंबित हो तो भी विचारण न्यायालय में खातेदारी घोषणा का वाद किया जा सकेगा एवं विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की जा सकेंगी। इस संबंध में अपीलीय न्यायालय या निगरानी न्यायालय द्वारा म्युटेशन कार्यवाही में पारित निर्णय खातेदारी घोषणा के वाद में बाधा नहीं बनेगा। क्योंकि म्युटेशन कार्यवाही और उस संबंध में अपीलीय या निगरानी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समरी प्रोसीडिंग माने जाते हैं, इसलिए ऐसे निर्णय एवं कार्यवाही खातेदारी घोषणा के वाद में बंधनकारी नहीं माने जा सकते। इसके अतिरिक्त धारा 145, 146 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा किसी प्रकार के अधिकारों को निर्णित नहीं किया जा सकता है, इस संबंध में समस्त प्रकार के अधिकार सक्षम न्यायालय यथा सिविल एवं राजस्व न्यायालय द्वारा ही तय किये जा सकते है। कब्जे के संबंध में भी धारा 146 (1) के तहत सक्षम न्यायालय ही अधिकारों का अवधारण कर सकता है। चूंकि उपरोक्त प्रकरण में वर्णित भूमि कृषि भूमि है, इसलिए इस संबंध में समस्त प्रकार की कार्यवाही यथा खातेदारी घोषणा अथवा कब्जा लेने अथवा निषेधाज्ञा इत्यादि के संबंध में अधिकारिता केवल मात्र राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। अपीलान्ट का वाद कौनसी विधि और विधि के प्रावधानों के तहत वर्जित है, ऐसा कोई प्रावधान न तो रेस्पोंडेन्ट के आवेदन में उल्लेखित है और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में उल्लेखित है। केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह उल्लेखित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

करना कि कब्जे के अवधारण के लिए सिविल न्यायालय की डिक्री के अभाव में राजस्व न्यायालय विनिश्चय नहीं कर सकता है, उपरोक्त फाईन्डिंग विधि के विपरित है, क्योंकि कृषि भूमि के संबंध में कब्जा प्राप्ति, खातेदारी घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा के प्रावधान राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में धारा 183, 88 एवं 188 के तहत ही प्रदान किये जा सकते हैं एवं इसके लिए केवल राजस्व न्यायालय ही सक्षम है। उपरोक्त संदर्भ में अनुतोष हेतु सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने के अधिकार धारा 207 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अनुसार प्रतिबंधित है अर्थात् सिविल न्यायालय को उपरोक्त संदर्भ में वाद सुनवाई की कोई अधिकारिता ही नहीं हैं। उपरोक्त संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई फाईडिंग विधि के विपरीत होने से अवैध है, इस कारण से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। धारा 145 व 146 में विवादित भूमि के संबंध में समस्त अधिकारों का अवधारण सक्षम न्यायालय अर्थात् कृषि भूमि की अवस्था में राजस्व न्यायालय एवं अन्य सम्पत्ति के संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। धारा 145, 146 में अधिकारों का अवधारण नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारों का अवधारण एवं कब्जा प्राप्ति एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था। जिसका केवल राजस्व न्यायालय द्वारा ही संज्ञान लिया जा सकता है, अन्य किसी भी न्यायालय को सुनवाई की अधिकारिता नहीं हैं, इस कारण भी पारित निर्णय व डिक्री अवैध है। उपरोक्त संदर्भ मे अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से अनेकानेक राजस्व मण्डल, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय पेश किये थें। जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट का प्रस्तुत आवेदन किसी भी रूप से पोषणीय नहीं था। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2019 आरआरटी पेज 07 अनुसार अपीलान्ट का वाद पूर्णरूपेण पोषणीय था, लेकिन बिना अवलोकन किये ही केवल मात्र यह लिख देने से कि उपरोक्त निर्णय हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होता है और इस आधार पर वाद को खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट ने प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 के आवेदन में वादग्रस्त सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या एक के नाम करने का निर्णय लिया था। अतः मौखिक वसीयत के संदर्भ में तथ्य अंकित किये हैं। चूंकि उक्त तथ्य न तो आदेश 7 नियम 11 के आवेदन में निर्णित किये जा सकते हैं, न ही हिन्दू विधि में मौखिक वसीयत किये जाने के प्रावधान है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 57 (ग) एवं धारा 63 अनुसार हिन्दू विधि में मौखिक वसीयत नहीं की जा सकती हैं। उपरोक्त प्रावधान अनुसार वसीयत लिखित, हस्ताक्षरित एवं अनुप्रमाणित होना आज्ञापक है। इस कारण भी रेस्पोडेन्ट का आवेदन पोषणीय नहीं था, साथ ही उपरोक्त कथन विधि एवं तथ्यों का मिश्रित प्रश्न है जिसे इस स्तर पर तय नहीं किया जा सकता है। साथ ही वादकारण के संबंध में सम्पूर्ण वाद को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पढ़ा जाकर ही यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि सम्पूर्ण वाद को पढ़ने से वादकारण उत्पन्न होता है अथवा नहीं होता है। केवल मात्र कुछ पंक्तियों एवं पेराग्राफ को पढ़ने से वादकारण के संबंध में फाईन्डिंग नहीं दी जा सकती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए–

1. 1993 RRD 634
2. AIR 1960 RAJ. 276
3. AIR 2006 NOC 257 (JHAR)
4. AIR 2004 SC 115
5. 2001 (2) RRT 1223
6. 1994 RRD 659
7. 2004 RRT 727
8. 2021 (2) RRT 1201 (S.C.)
9. 2003 DNJ 346 (S.C.)
10. 2005 RRD 539
11. 2019 (1) RRT 7 (S.C.)
12. AIR 2002 SC 1500
13. 2001 (2) RLW 821
14. 2021 (2) RRT 1480 (SC)
15. 2011 (2) RRT 1203
16. 2021 (1) RRT 638
17. 2013 (1) RRT 356
18. 2019 DNJ 204
19. 2021 (2) RRT 1283
20. 2019 (1) RRT 116
21. 2018-19 RRT 26
22. 2011 (2) RRT 1433
23. 1998 DNJ 197

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

24.2015 DNJ 242 (SC)

25.2018 (1) RRT 629

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए–

1. 2011 (3) CCC (SC) 006
2. 2014 (1) CCC (SC) 111
3. 2013 (1) CCC (SC) 075

हमने पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्यक न्याय–निर्णयन में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादपत्र बाबत खातेदारी घोषणा, बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.2022 को निर्णय व डिक्री करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में रेस्पोंडेंट प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत घोषणा, कब्जा एवं सर्वकालिक निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। प्रकरण में रेस्पोंडेंट प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.08.2022 द्वारा रेस्पोंडेंट प्रतिवादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादपत्र खारिज किया गया।
3. अपीलांट वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र के पैरा संख्या 10 में वादी द्वारा यह अंकित किया है कि "उक्त कृषि भूमि का नामांतरण वादी के पक्ष में करने हेतु आदेश क्रमांक भू.अ./2013/503 दिनांक 07.03.2013 जारी किया गया। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का दूदनी द्वारा नामांतरण क्रमांक 814 खोला गया। भू.अ.नि. बेड़ा द्वारा आवश्यक जांच करने के पश्चात दिनांक 11.03.2013 को तहसीलदार बाली द्वारा उक्त नामांतरण स्वीकृत किया गया। जिसके फलस्वरूप राजस्व अभिलेख में वादी के पक्ष में उक्त भूमि के खातेदारी के इन्द्राज किए गए।" इस प्रकार वादी जहां वादपत्र में स्वयं यह अंकित करता है कि वह वादग्रस्त आराजी के भू.अ. में बतौर खातेदार दर्ज है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

लेकिन इसके बावजूद खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जोकि परस्पर विरोधाभासी व विधिविरूद्ध है।

4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में उभयपक्षकारान के मध्य कब्जे के संबंध में उत्पन्न विवाद के कारण न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट बाली द्वारा धारा 145 व 146 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्यवाही की गई तथा धारा 146 (1) के अंतर्गत वादग्रस्त आराजीयात कुर्क की जाकर तहसीलदार बाली को रिसीवर नियुक्त किया गया। जो वर्ष 2013 से रिसीवर के कब्जे में हैं। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में SB/CRI.Misc Petition no. 4567/2017 प्रस्तुत की गई। जो जैरकार है। धारा 145 व 146 सीआरपीसी के प्रकरणों में कब्जे का अवधारण संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना होता है। ऐसी स्थिति में वादी अपीलांट द्वारा समानांतर रूप से राजस्व न्यायालय में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत कब्जा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। जबकि वादी अपीलांट द्वारा धारा 188 के साथ 183 का अनुतोष भी चाहा गया है। विद्वान विचारण न्यायालय में अपीलाधीन आदेश में यह स्पष्ट उल्लेखित किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में भूमि रिसीवर के आधिपत्य में हैं तथा रिसीवरी आदेश में यह स्पष्ट वर्णित है कि तब तक रिसीवर के कब्जे में भूमि रखी जावें जब तक कि कब्जे का अवधारण करने वाले सक्षम सिविल न्यायालय की डिक्री किसी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। इस प्रकार कब्जे का अवधारण करने वाले सक्षम सिविल न्यायालय की डिक्री के अभाव में किसी प्रकार के हक, स्वत्व के वाद का विनिश्चय राजस्व न्यायालय द्वारा कैसे किया जा सकता है ? हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अभिमत व विनिश्चय प्रकट करने में कोई विधिक भूल नहीं की हैं।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी अपीलांट स्वयं द्वारा वादपत्र में यह उल्लेखित किया गया है कि वह वादग्रस्त आराजीयात के भू.अ. में बतौर खातेदार दर्ज है। उभयपक्षकारान के मध्य नामांतरण से संबंधित अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में विचाराधीन होना उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत वांछित अनुतोष के संबंध में वादकारण ही उत्पन्न नहीं होता है। साथ ही धारा 145, 146 सीआरपीसी के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका जैरकार होना उभयपक्षकारान द्वारा स्वीकार किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात धारा 146 (1) सीआरपीसी के अंतर्गत संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा रिसीवर के कब्जे में रखे जाने का आदेश किया है। जिसकी पालना में रिसीवर द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया है। रिसीवर द्वारा विधिविरूद्ध रूप

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

से बतौर अतिक्रमी कब्जा प्राप्त नहीं किया है। वादी अपीलांट रिसीवर से कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अनुतोष चाहा गया। सीआरपीसी की धारा 146 (1) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश द्वारा रिसीवर द्वारा वैध रूप से प्राप्त कब्जा के विरूद्ध उक्त प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित सक्षम न्यायालय में अपील/रिवीजन प्राप्त करके अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत ऐसी परिस्थिति में वांछित अनुतोष हेतु वादकारण ही उत्पन्न नहीं होता है। इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकट अभिमत व विनिश्चय पूर्णतया विधिसम्मत होने से स्वीकार योग्य है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियां व तथ्य भिन्न–भिन्न होने से हूबहू चस्पा नहीं होते हैं।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की समुचित सुनवाई उपरांत तथा प्रकरण का संगत विधिक प्रावधानों के आलोक में विस्तृत विवेचन करते हुए स्पीकिंग ऑर्डर के साथ अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अतः प्रक्रियात्मक रूप से भी किसी प्रकार की त्रुटि साबित नहीं होती हैं।
7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत प्राथमिक आपत्तियां मूल अपील के गुणावगुण से संबंधित होने से उपर्युक्त विवेचन के आलोक में स्वीकार योग्य है।
8. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कोई वैधानिक भूल नहीं की हैं। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/2021 बअनवान दिलीपसिंह बनाम राजेन्द्रसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.08.2022 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **19.09.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner